

**न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
जैतारण (जिला-पाली) राज.**

सीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
स्व प्रार्थना पत्र संख्या : 105/2021
MS NO. : 2021/170

-: प्रार्थीगण :-

बनाम

-: अप्रार्थीगण :-

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. उम्मेदसिंह पुत्र सोहनदान 2. दरियाव कंवर पत्नी सोहनदान जातियान- राव, निवासीगण-निमाज, तहसील जैतारण, जिला- पाली राज०। | <ol style="list-style-type: none"> 1. पूरणकंवर पत्नी दलपतसिंह 2. भोपालसिंह पुत्र दलपतसिंह फौत के का.मु. 2.1 अनिलसिंह पुत्र भोपालसिंह 2.2 नरेश सिंह पुत्र भोपालसिंह 2.3 लक्ष्मणसिंह पुत्र भोपालसिंह 2.4 शोभाकंवर पुत्री भोपालसिंह 2.5 छगनकंवर पुत्री भोपालसिंह 3. राजकंवर पुत्र दलपतसिंह 4. सुरजभान सिंह पुत्र दलपतसिंह 5. सवाई सिंह पुत्र दलपतसिंह जातियान- राव, निवासीगण- निमाज, तहसील-जैतारण, जिला- पाली राज.। 6. देवाराम पुत्र सवाईराम 7. पुखाराम पुत्र रूपाराम 8. मुनाराम पुत्र रूपाराम 9. मोहनलाल पुत्र घीसाराम 10. इन्द्रचंद पुत्र जसाराम 11. केवलचंद पुत्र रामलाल 12. माणकचंद पुत्र बचनाराम 13. अमराराम पुत्र पोकरराम 14. घेवरराम पुत्र रावतराम जातियान- कुम्हार निवासीगण निमाज तहसील जैतारण जिला पाली। 15. तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली (राज.)। |
|--|--|

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,
1956 तारीख रजु: 07/07/2021

- उपस्थित:-
1. श्री सुरेश चौधरी, श्री डांवरराम चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
 2. श्री महेन्द्र कुमार गुंरा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-: निर्णय :-

दिनांक:- 26/05/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्तसुदा हक सुदा भूमि राजस्व मौजा निमाज प्रथम, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 544 रकबा 1.2060 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 545/2 रकबा 2.8247 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम कुल खसरा 02 कुल रकबा 4.0307 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 545 रकबा 4.0307 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम की भूमि आई हुई है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

ना जायेगा। प्रार्थीगण की इस खातेदारी व हक सुदा भूमि के पड़ोस पश्चिमी तरफ प्रार्थी संख्या 01 से 05 के खसरा नम्बर 545/1 रकबा 1.2383 हैक्टेयर की आई हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि मौके पर अलग अलग स्थित है। राजस्व रेकॉर्ड में भी भूमि का अलग से बंटवाड़ा होकर अलग अलग ही तरमीम की है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की इस विवादित भूमि के उत्तरी व पूर्वी तरफ अप्रार्थीगण या 06 से 14 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 518 रकबा 5.7627 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 530 रकबा 5.6980 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि मौके पर अलग अलग स्थित है। एवं राजस्व रेकॉर्ड में भी भूमि अलग से बंटवाड़ा होकर अलग अलग ही तरमीम की हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उक्त भूमि अलग अलग होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण भूमि के नाप चौप एवं सीमा लेकर के आये दिन मौके पर विवाद कर रहे है। तथा पूर्व से मौके पर स्थापित मा चिन्हों को अप्रार्थीगण ने खुर्द बुर्द कर दिया था। जिस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार तारण के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि के बाबत सीमाज्ञान करवाने बाबत आवश्यक नूनी कार्यवाही की थी। जिस पर तहसीलदार के आदेशानुसार दिनांक 18.06.2021 पटवारी पटवार हल्का निमाज द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराया गया। तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर पत्थर खड़े कर तारबंदी करने की कार्यवाही शुरू की जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की इस तारबन्दी को रुकवाया दिया था। तथा हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान को भी मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से अप्रार्थीगण भूमि के नाप चौप व सीमाज्ञान को लेकर विवाद कर रहे है। तथा मौके पर प्रार्थीगण के सीमाज्ञान माफिक करवायी जा रही पत्थर गड्डी की कार्यवाही को रुकवाते हुये लडाईं झगड़ा व विवाद करने को आमामादा है। तथा दिनांक 18.06.2021 को अप्रार्थीगण ने मौके पर नाप करने एवं माफिक नाप के पत्थरगड्डी करवाने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है। इस बाबत प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण तहसीलदार जी जैतारण से भी नाप चौप उपरान्त पत्थर गड्डी करवाने का निवेदन किया जिस पर उनके द्वारा नियुक्त हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 18.06.2021 को ही नाप चौप करने की कार्यवाही करते हुये सीमाज्ञान करवाया गया। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा विवाद करने पर मौके पर पत्थर गड्डी नहीं हो सकी। साथ ही करवाये गये सीमाज्ञान को भी अप्रार्थीगण नहीं मान रहे है तथा मौके पर विवाद है। इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में अदालत श्रीमान के समक्ष यह कार्यवाही पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाने से यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण के सादर पेश है। साथ ही इस प्रकरण में खसरा नम्बर 518 व 530 के अन्य खातेदारो द्वारा किसी भी प्रकार कोई विवाद नहीं करने से उन्हें वाद पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उक्त भूमि अदालत हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में ही स्थित है। तथा नियमानुसार न्याय शुल्क भी इस प्रार्थना पत्र के साथ सादर पेश किया जा रहा है। एवं अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान को मानने से इंकार करते हुये मौके पर पत्थर गड्डी नहीं होने दी जिससे इस भूमि के नाप चौप को लेकर पक्षकारो के मध्य विवाद होने से प्रार्थीगण के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 2/1 से 2/5, 6 से 14 को बार बार गई गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 तथा 3 से 5 की ओर से पेश हुआ जो सामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 1 तथा 3 से 5 जवाब हरना चाहते है, अत जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है।

हमने पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन है:-

गण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम निमाज प्रथम जैतारण में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 544 रकबा 1. हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 545/2 रकबा 2.8247 हैक्टेयर किस्म म कुल खसरा 02 कुल रकबा 4.0307 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 545 रकबा हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी दारी भूमि के पश्चिमी की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खसरा संख्या उत्तर व पूर्व की तरफ अप्रार्थी संख्या 6 से 14 की खसरा संख्या 518 व ने आराजी स्थित है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी की उपस्थिति में हल्का मौके पर सीमाज्ञान करवाया गया लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमांकन ने से स्पष्ट इंकार कर दिया, जिससे प्रार्थीगण को न्यायालय में आना पड़ा। अतः ही खातेदारी भूमि खसरा संख्या 544, 545/2, 545 एवं इससे लगती गण की आराजीयात् के मध्य मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर नाप चौप किया पत्थरगढी करवायी जाये, तथा अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवाद करने के कारण की पालना जरिए पुलिस इमदाद करवायी जाये।

प्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5, 6 से 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 5 को पर्याप्त अवसर बावजूद जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किया

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है, की वादग्रस्त आराजी संख्या 544 व 545/2 प्रार्थी संख्या 1 उम्मेदसिंह पुत्र सोहनदान तथा खसरा 545 प्रार्थी संख्या 2 दरियाव कंवर पत्नी सोहनदान के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि भू नक्शा में तरमीमशुदा है। खसरा संख्या 545/1, 518 व 530 जो अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा प्रार्थीगण की आराजी की सीमा से लगते हुए है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2021 के लोकन से स्पष्ट है कि पटवारी निमाज प्रथम द्वारा वादग्रस्त आराजी का मौके पर कर उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया गया लेकिन मौके पर उपस्थित प्रार्थी खातेदार ने सीमाज्ञान को नामंजूर कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उभयपक्षके आराजीयात् की वास्तविक सीमा को लेकर विवाद की स्थिति है तथा ऐसे विवाद का प्रधान सीमाज्ञान एवं सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न रोपित करवाकर ही करवाया जाता है। चूंकि उपर्युक्त खसरान् की आराजी भू नक्शा में तरमीमशुदा है तथा जमाबंदी

अधिवक्ता
पद सं-3/अभिलेख/अधिवक्ता
जैतारण (पाली)

सभी खसरा नु का कुल रकबा अंकित है। खातेदारानु के मध्य खसरा विशेष की विविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादो का धान मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित गते हुए करवाया जा सकता है ताकि काश्तकारो के मध्य अनावश्यक विवाद एवं लता उत्पन्न न हो। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए र्थी की आराजी खसरा संख्या 544, 545/2, 545 एवं इससे लगती अन्य तेदारानु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 545/1, 518 व 530 की आराजी का ताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा मौके पर नाप चौप करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर माचिह्न अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत रा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान ने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम-माज प्रथम तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 44 रकबा 1.2060 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 545/2 रकबा 2.247 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम कुल खसरा 02 कुल रकबा 4.0307 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 545 रकबा 4.0307 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम एवं अप्रार्थीगण की खसरा नम्बर 545/1 रकबा 1.2383 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 518 रकबा 5.7627 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 530 रकबा 5.6980 हैक्टेयर के खातेदारानु के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शे मौके पर नाप चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारानु को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। उक्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से मानसून आगमन से पूर्व अर्थात् 30 जून 2022 से पूर्व संपादित करवा दी जावे। यदि मौके पर खातेदारानु के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जाये। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिक्ता एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 26/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)